



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062023-246463
CG-DL-E-12062023-246463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]
No. 345]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2023

सा.का.नि. 432(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245 थ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 44ड में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
“(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसके साथ उपाबद्ध सत्यापन, उक्त के उपाबंध और उपाबंध के साथ लगाए जाने वाले निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज होंगे,-
(क) किसी व्यष्टि के मामले में,-
(i) हस्ताक्षरित या अंकीय हस्ताक्षरित,-
(i) स्वयं व्यष्टि द्वारा; या
(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने संभव न हों, वहां इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके कर्ता द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से कर्ता द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने संभव न हों, वहां कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) किसी कंपनी की दशा में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध निदेशक के लिए आवेदन हस्ताक्षरित और सत्यापित करना संभव न हो, या जहां कोई प्रबंध निदेशक न हो, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करना संभव न हो वहां इस निमित्त कंपनी द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ लगाया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(घ) फर्म की दशा में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसे प्रबंध भागीदार द्वारा आवेदनपत्र हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जाना संभव न हो या जहां कोई प्रबंध भागीदार ही न हो, वहां उसके किसी भी ऐसे भागीदार द्वारा जो अवयस्क न हो;

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ङ) व्यक्तियों के किसी संगम की दशा में,-

(I) यदि संगम का कोई व्यक्ति या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सशक्त किन्हीं अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।

(3) उक्त नियम के, नियम 44च में,-

- (i) पार्श्व शीर्ष में, "प्राधिकारी" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) "प्राधिकारी" शब्द दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ।
4. उक्त नियम के, उपाबंध-2 में प्ररूप 34ग से प्ररूप 34ङक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 34ग

[नियम 44ङ देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन कोई अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए अनिवासी आवेदक के संबंध में आवेदन का प्ररूप

(कृपया इस प्ररूप को भरने से पूर्व टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष

		श्री	श्रीमती
1.	किसी व्यक्ति के मामले में, अंतिम नाम/उप नाम/ मध्य नाम		
2.	जन्म की तारीख		
3.	पिता का नाम		
4.	पूरा नाम (उस मामले में जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है)		
5.	निगमन करने की तारीख (उस मामले में जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है)		
6.	निगमन करने के प्रकार		
7.	पता		
8.	टेलिफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता		
9.	वह देश जिसका वह निवासी है		
10.	प्रास्थिति		
11.	अनिवासी होने के लिए दावे का आधार		
12.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी (विद्यमान निर्धारिती के मामले में)		
13.	स्थायी खाता संख्या (विद्यमान निर्धारिती के मामले में)		
14.	उस संव्यवहार जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, से संबंधित प्रश्न (प्रश्नों)		
15.	क्या मद संख्या 14 में निर्दिष्ट संव्यवहार राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम से संबंधित है ?		हां/नहीं
16.	यदि हां, तो कार्यक्रम का नाम		
17.	मद संख्या 14 में निर्दिष्ट प्रश्न (प्रश्नों) से संबंधित सुसंगत तथ्यों का विवरण		
18.	पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में यथास्थिति, आवेदक के विधि या तथ्य के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण		
19.	संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची		
20.	आवेदन के साथ संलग्न फीस भुगतान के ब्यौरे जैसे संव्यवहार संदर्भ संख्या/चालान सत्यापन संख्या/भुगतान सत्यापन संख्या आदि		
21.	भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता यदि कोई हो		
22.	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका आवेदक निवासी होने का दावा करना है।		
23.	आवेदक की मूल कम्पनी या कम्पनियों की विशिष्टियां		
(क)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का नाम		
(ख)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का पता		

(ग)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(घ)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(ङ)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की तत्काल मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।	
(च)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का नाम	
(छ)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का पता	
(ज)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(झ)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(ञ)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।	

.....
हस्ताक्षरित
(आवेदक)

सत्यापन

मैं,पुत्र/पुत्री /पत्नी [पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में] श्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर और उपाबंधों में जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज भी हैं, जो कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं, (पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि वह प्रश्न, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया।

.....
(आवेदक)

स्थान :.....

टिप्पण :

1. यह आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाए।
2. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में नियमों के नियम 44ड के अनुसार लागू फीस के भुगतान का सबूत संलग्न होगा। भुगतान के ब्यौरे मद 20 के उत्तर में दिए जाएंगे।
3. मद सं. 7 के उत्तर में, किसी आवेदक के मामले में जो विद्यमान निर्धारिती नहीं है, निम्नलिखित पते दिए जाएंगे:-
 - भारत में वह स्थान जहां कार्यालय या निवास स्थित है या स्थित होना संभाव्य है
 - निगमन के अपने देश में पता।
4. मद सं. 9 के उत्तर में, यदि आपवेदक कोई कंपनी, व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, आदि है तो, उसके निवास के देश का नाम दिया जाना है, नाकि ऐसे व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति की ओर से आवेदन फाइल कर रहा है।
5. मद सं. 10 के उत्तर में, आवेदक यह बताए कि क्या वह यह व्यष्टि हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्ति-संगम या कंपनी है।
6. मद सं. 11 के लिए उत्तर आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथाअन्तर्विष्ट भारत में 'निवास' से संबंधित उपाबंधों के सदर्थ में दिया जाए। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है:-

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या
- 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए और वह पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, किसी भारत के नागरिक या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और भारत भ्रमण के लिए आता है या जब कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजन के लिए या किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ता है, की दशा में 60 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 182 दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर है और भारत भ्रमण के लिए आता है तो उपर्युक्त उल्लिखित 60 दिन की अवधि को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है, यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति की कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित दशाओं पर विचार के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी देश या संघ राज्य क्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

कोई व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब प्रत्येक दशा में भारत में निवासी है सिवाय वहां के जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह कोई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया में स्थित है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

7. मद सं. 14 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिए) परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

8. मद सं. 17 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को व्यौरवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।

9. मद सं. 18 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करे।

10. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज,-

(क) व्यष्टि की दशा में,--

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने संभव न हों, वहां इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,--

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) कर्ता के स्वयं के द्वारा या;

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किए जाएंगे; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ग) कंपनी की दशा में,—

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,—

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किए जाएंगे:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा;

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;

(घ) फर्म की दशा में,—

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,—

(i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या

(ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, किया जाएगा, जो अवयस्क नहीं हो; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,—

(I) संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(च) किन्हीं अन्य व्यक्तियों की दशा में,—

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों से संबंध है जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

.....

.....

.....

स्थान.....

(आवेदक)

तारीख.....

उपाबंध 2

प्रश्न जिस पर/जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत् आवेदक के
यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अतर्विष्ट करते हुए कथन

.....
.....

स्थान.....

(आवेदक)

तारीख.....

प्ररूप सं. 34घ

[नियम 44ड देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन निवासी आवेदक द्वारा अनिवासी आवेदक के साथ किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप
(कृपया, अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष इस प्ररूप को भरने से पहले सावधानीपूर्वक टिप्पणियों को पढ़ें)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. आवेदक का पूरा नाम और पता | <input type="text"/> |
| 2. टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता | <input type="text"/> |
| 3. प्रास्थिति | <input type="text"/> |
| 4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी | <input type="text"/> |
| 5. स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या, यदि लागू हो | <input type="text"/> |
| 6. ऐसे अनिवासी की विशिष्टियां, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है | <input type="text"/> |
| (क) अनिवासी का नाम | <input type="text"/> |
| (ख) अनिवासी का पता | <input type="text"/> |
| (ग) ग्राम्य निवास | <input type="text"/> |
| (घ) अनिवासी की टैलीफोन और फैक्स संख्या | <input type="text"/> |
| (ङ) अनिवासी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो) | <input type="text"/> |
| (च) करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदाता पहचान संख्या/ उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान के लिए प्रयुक्त | <input type="text"/> |

कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या	
(छ) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का नाम	
(ज) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का पता	
(झ) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का ग्राम्य निवास	
(ञ) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
(ट) करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदाता पहचान संख्या/कृत्यकारी समतुल्य या उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई अन्य विशिष्ट संख्या	
(ठ) अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का नाम	
(ड) अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का पता	
(ढ) अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का ग्राम्य निवास	
(ण) अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
(त) करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदाता पहचान संख्या/ उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या;	
7. दावे का आधार यह कि क्रम संख्यांक 6 में निर्दिष्ट व्यक्ति जिससे संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है, अनिवासी है	
8. किए गए संव्यवहार या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, से संबंधित विधि या तथ्य का प्रश्न	
9. क्या मद सं. 8 में निर्दिष्ट संव्यवहार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी घटना से संबंधित है?	

10. यदि हां, तो उस घटना का नाम

11. मद सं. 8 में निर्दिष्ट प्रश्न(प्रश्नों) पर प्रभाव डालने वाले सुसंगत तथ्यों का विवरण

12. उपरोक्त प्रश्नों की बाबत आवेदक का यथास्थिति विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

13. संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची

14. आवेदन से संलग्न फीस के संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यवहार संदर्भ संख्या/ चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि

.....

(आवेदक)

सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूरा और बड़े अक्षरों में नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त और उपाबद्ध (उपाबंधों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) से संलग्न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं ---- (पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसका सत्यापन करता हूँ

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपीली अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया है।

(आवेदक)

स्थान.....

टिप्पण:

1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा।

2. आवेदन के साथ नियम 44ड के उपनियम (4) के अनुसार नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में दी गई लागू फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा। संदाय के ब्यौरे मद संख्या 14 के प्रत्युत्तर में दी जाएगी।

3. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि वह या तो व्यक्ति, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।

4. मद सं. 6 के लिए उत्तर आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथाअन्तर्विष्ट भारत में 'निवास' से संबंधित उपाबंधों के संदर्भ में दिया जाए। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है।

किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है:-

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या

- 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए और वह पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, किसी भारत के नागरिक या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और भारत भ्रमण के लिए आता है या जब कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजन के लिए या किसी भारतीय पोट के कर्मिंदल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ता है, की दशा में साठ दिनों की अवधि को बढ़ाकर एक सौ बयासी दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर है और भारत भ्रमण के लिए आता है तो उपर्युक्त उल्लिखित साठ दिन की अवधि को बढ़ाकर एक सौ बीस दिन कर दिया गया है, यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति की कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के सिवाय पंद्रह लाख से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लिखित दशाओं पर विचार के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के सिवाय, पंद्रह लाख से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी देश या संघ राज्य क्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

कोई व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या फर्म प्रत्येक दशा में भारत में निवासी है सिवाय वहां के जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह कोई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

5. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं)। परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

6. मद सं. 11 के संबंध में, उपाबंध 1 में, आवेदक सुसंगत तथ्यों को व्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।

7. मद सं. 12 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा।

8. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों और दस्तावेजों को,-

(क) व्यष्टि की दशा में,-

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, तो इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; या

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टिक से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,-

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) कर्ता के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, ऐसे कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) कंपनी की दशा में,-

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा;

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(घ) फर्म की दशा में,-

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या

(ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो, हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,-

(I) संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा से हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों(उस प्रश्न) से संबंध है जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

.....

स्थान.....

(आवेदक)

तारीख.....

उपाबंध 2

प्रश्न, जिस पर/जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अतर्विष्ट करते हुए कथन

.....

..... हस्ताक्षरित

स्थान.....

(आवेदक)

तारीख.....

प्ररूप सं. 34घक

[नियम 44ड देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में जो किया गया है या जिसका किया जाना प्रस्थापित है, निवासी आवेदक द्वारा आवेदन का प्ररूप
(कृपया, इस प्ररूप को भरने से पहले सावधानीपूर्वक टिप्पणियों को पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष

1. आवेदक का पूरा नाम और पता
2. टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता
3. प्रास्थिति
4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी
5. स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या(यदि लागू हो)
6. ऐसे व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन या फैक्स सं. और ई-मेल पता जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्थापित है
7. ऐसे संव्यवहार जो किए गए हैं या किए जाने प्रस्थापित हैं, से संबंधित विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न, जिनके संबंध में अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है।
8. क्या मद सं. 7 में निर्दिष्ट संव्यवहार किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना के संबंध में है ?
9. यदि हां, घटना का नाम
10. मद सं. 7 में निर्दिष्ट प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण
11. उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) की बाबत आवेदक का यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण
12. क्या उठाए गए प्रश्नों पर न्यायालय के ऐसे विनिश्चय हैं जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है ? यदि हां, तो ऐसे सुसंगत विनिश्चयों की सूची दें।
13. संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची
14. आवेदन के साथ संलग्न, फीस जैसे संव्यवहार संदर्भ सं./चालान पहचान सं./संदाय पहचान सं. आदि, के संदाय के व्यौरे

हां/नहीं

.....
हस्ताक्षरित
(आवेदक)

सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूरा और बड़े अक्षरों में नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त और उपाबद्ध (उपाबंधों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) से संलग्न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं (पदनाम) की हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसका सत्यापन करता हूँ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा प्रश्न (प्रश्नों) जिस पर अग्रिम विनिर्णय वांछित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपीली अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है/हैं। आज तारीख.....को सत्यापित किया गया है।

.....
हस्ताक्षरित
(आवेदक)

स्थान.....

टिप्पण:

1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा।

2. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में आयकर नियम, 1962 के नियम 44ड. के उप नियम (4) के अनुसार लागू फीस के भुगतान का सबूत संलग्न हो। भुगतान के ब्यौरे मद सं. 14 के प्रत्युत्तर में दिए जाएंगे।

3. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि वह या तो व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।

4. मद सं. 7 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिए)। परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5. मद सं. 10 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।

6. मद सं. 11 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा।

7. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों और दस्तावेजों,-

(क) व्यष्टि की दशा में,-

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, तो इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; या

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टिक से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,-

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) कर्ता के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, ऐसे कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) कंपनी की दशा में,-

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा;

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(घ) फर्म की दशा में,—

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,—

(i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या

(ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो, हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,—

(I) संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा से हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

.....

.....
 (आवेदक)

स्थान.....

तारीख.....

उपाबंध 2

प्रश्न (प्रश्नों), जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए कथन

.....

.....
 हस्ताक्षर

(आवेदक)

स्थान

तारीख

प्ररूप सं. 34ड

[नियम 44ड देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार व्यष्टियों के वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले निवासी द्वारा आवेदन का प्ररूप

(इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | आवेदक का पूरा नाम और पता | |
| 2. | टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई मेल पता | |
| 3. | प्रास्थिति | |
| 4. | आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी | |
| 5. | स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्या | |
| 6. | सीआईटी (ए) या अधिकरण के समक्ष अपील संख्यांक और अपील की तारीख, जहां कहीं लागू हो, की विशिष्टियां | |
| 7. | निर्धारण वर्ष, निर्धारण आदेश की तारीख और वह धारा, जहां लागू हो, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा, मूल आदेश पारित किया गया था (निर्धारण आदेश और अपीलीय आदेश की प्रति संलग्न करें) | |
| 8. | अन्तर्वलित विधि या तथ्य का (के) प्रश्न, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है | |
| 9. | क्या मद सं0 8 में निर्देशित संव्यवहार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है ? | हां/नहीं |
| 10. | यदि हां, घटना का नाम | |
| 11. | मद सं0 8 में निर्देशित प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण | |

12. पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में, आवेदक के, यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण

13. संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची

14. आवेदन के साथ संलग्न फीस संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यवहार संदर्भ सं0/चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि

हस्ताक्षर

(आवेदक)

सत्यापन

मैं,, पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूर्ण नाम स्पष्ट अक्षरों में] श्री सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त और उपाबंध (उपाबंधों) में, जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ लगे दस्तावेज भी हैं, जो भी कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन.....के रूप में अपनी हैसियत में कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को (पदनाम) करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह (वे) प्रश्न, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिश्चय इप्सित है, मेरे मामले में आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

आज तारीखको सत्यापित किया गया।

हस्ताक्षर

(आवेदक)

स्थान :.....

टिप्पण :

1. आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाएगा।
2. आवेदन के साथ संदाय का सबूत, नियम 44ड के उपनियम (4) के अनुसार लागू फीस नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के पक्ष में भेजा जाएगा। संदाय के ब्यौरे मद सं0 14 के उत्तर में दिए जाएंगे।
3. मद सं. 3 के उत्तर में, आवेदक यह बताएगा कि क्या वह कोई आवेदक, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्ति-संगम या कंपनी है।
4. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यवहार पर आधारित होगा। अनुमानिक प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. मद सं. 11 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरेवार कथन करेगा। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कर प्रभाव को भी वर्णित किया जाएगा।

6. मद सं. 12 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

7. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के उपाबंध और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले विवरणों और दस्तावेजों को,--

(क) किसी व्यष्टि के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) व्यष्टि द्वारा स्वयं; या

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक्तः अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से वैध मुख्तारनामा हो, जो आवेदन से जुड़ा होगा; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ख) एक हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके कर्ता द्वारा; और

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां ऐसे कुटुंब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ग) एक कंपनी के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा:

परंतु उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से एक वैध मुख्तारनामा है, जो आवेदन से जुड़ा होगा; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(घ) एक फर्म के मामले में,--

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां इस प्रकार से कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ड) व्यष्टियों के एक संघ के मामले में,—

(I) संघ के किसी सदस्य या उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(च) किसी अन्य व्यष्टि के मामले में,—

(I) उस व्यष्टि द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यष्टि द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल हस्ताक्षर; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया ।

उपाबंध 1

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) से, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है,
संबद्ध सुसंगत तथ्यों का कथन

.....
.....

स्थान

तारीख

.....
हस्ताक्षर
(आवेदक)

उपाबंध 2

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, आवेदक के, यथास्थिति, विधि और तथ्यों के निर्वचन वाला
विवरण

.....
.....

स्थान :

तारीख

.....
हस्ताक्षर
(आवेदक)

प्ररूप संख्या 34डक

[देखिए नियम 44ड]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्रास करने का प्ररूप

(कृपया इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष

1.	व्यष्टि के संबंध में, अंतिम नाम/उपनाम प्रथम नाम मध्य नाम	श्रीमान	श्रीमती
2.	जन्म की तारीख		
3.	पिता का नाम		
4.	पूरा नाम (यदि आवेदक व्यष्टि नहीं है)		
5.	निगमन की तारीख (यदि आवेदक व्यष्टि नहीं है)		
6.	निगमन के प्रकार		
7.	पता		
8.	प्रास्थिति		
9.	भारत का निवासी या अनिवासी	हां/नहीं	
10.	देश, जहां वह निवास करता है (अनिवासी की दशा में)		
11.	अनिवासी होने के लिए दावे का आधार		
12.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त और निर्धारण अधिकारी (केवल विद्यमान अनिवासी निर्धारिती की दशा में)		
13.	निवासी की दशा में स्थायी खाता संख्यांक और आधार संख्यांक (यदि लागू हो)		
14.	आवेदक द्वारा किए गए ठहराव का ब्यौरा, जिस पर बोर्ड का अवधारण या निर्णय आवश्यक है		

- (i) ठहराव का संक्षिप्त विवरण
- (ii) ठहराव का प्रयोजन
- (iii) निम्नलिखित प्ररूपों में ठहराव के लिए अन्य पक्षकारों का ब्यौरा :

क्र.सं.	ठहराव के लिए अन्य पक्षकार (पक्षकारों) के नाम	क्या भारत के निवासी हैं	स्थायी खाता संख्यांक और आधार संख्यांक (यदि कोई हो)	ठहराव में ऐसे पक्षकार की भूमिका	ठहराव के अन्य पक्षकार (पक्षकारों) के साथ संबंध	अन्य पक्षकार (पक्षकारों) से उत्पन्न होने वाले कर लाभ

15. कर लाभ, जो ठहराव से उत्पन्न होने की संभावना है, यदि किया जाता है

--

16. निर्धारण वर्ष या वर्ष, जिसके दौरान मद सं. 15 में यथा उपदर्शित कर लाभ उत्पन्न होने की संभावना है (वर्ष-वार अलग-अलग लिखें)

--

17. प्रस्तावित ठहराव से संबंधित प्रश्न (प्रश्नों), जिस पर मद सं. 14 में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय आवश्यक हैं

--

18. मद सं. 14 से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण

--

19. उपर्युक्त ठहराव के संबंध में, आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण

--

20. संलग्न दस्तावेजों विवरणों की सूची

--

21. आवेदन के साथ संलग्न फीस संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यवहार संदर्भ सं0/चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि

--

22. भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता

--

.....

 हस्ताक्षर
 (आवेदक)

सत्यापन

मैं.....(नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....सत्यनिष्ठा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऐसे उपाबंध(धों) के साथ दस्तावेज भी है में किया गया कथन सही औरपूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं..... (पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा /रही हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसे सत्यापित करता/करती हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष मेरे मामले में लंबित नहीं है

आज दिनको सत्यापित ।

.....

स्थान.....

.....
(आवेदक)

टिप्पणः

1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा

2. मद संख्या 9 के उत्तर में, आवेदक के मामले में, जो विद्यमान निर्धारिती नहीं है, निम्नलिखित पते दिए जाने हैं:-

- भारत में वह स्थान जहां कार्यालय और निवास अवस्थित है या अवस्थित होने की संभावना है ।
- निगमन के उसके देश का पता ।

3. आय-कर नियम, 1962 के नियम 44ड के उपनियम(4) के अनुसार नई दिल्ली पर संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में किया गया लागू फीस के संदाय के सबूत के साथ आवेदन किया जाएगा। संदाय के ब्यौरे मद सं. 21 के उत्तर में दिए जाएंगे।

4. मद सं. 8 के उत्तर में, आवेदक को यह अवश्य कथन करना चाहिए कि व व्यष्टिक, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है ।

5. मद सं. 11 के लिए, आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथा अंतर्विष्ट भारत में 'निवास' के संबंध में उपबंधों के संदर्भ में उत्तर दिया जाएगा/इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:-

कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में, 'निवासी' कहा जाता है, यदि वह उस वर्ष के दौरान भारत में निम्नलिखित अवधि के लिए रहा है ;

-एक सौ अस्सी दिवस की अवधि या अवधियों के लिए; या

-साठ दिवस या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान तीन सौ पैंसठ दिवसों या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है ।

तथापि, भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारत से बाहर रहा है तथा भारत में आगंतुक है या भारत का नागरिक है जो भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजनों के लिए या भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ता है, के मामले में साठ दिवस की अवधि को एक सौ बयासी दिवसों तक बढ़ा दिया जाता है। और, भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारत से बाहर रहा है तथा भारत में आगंतुक है, के मामले में साठ दिवस की पूर्वोक्तवर्णित अवधि बढ़ाकर एक सौ बीस दिवस कर दी जाती है यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय से भिन्न, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान पंद्रह लाख रुपये से अधिक होती है।

इसके अतिरिक्त, उपवर्णित शर्तों को ध्यान में न रखते हुए, कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है तथा विदेशी स्रोतों से भिन्न, उसकी कुल आय पंद्रह लाख रुपये से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या अन्य मापदंड के कारण किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है। जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः भारत के बाहर अवस्थित है उसके सिवाय, प्रत्येक मामले में व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या फर्म भारत में निवासी है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि वह भारतीय कंपनी है या इसके प्रभावी नियंत्रण का स्थान भारत में है।

यथा पूर्वोक्त कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

6. मद सं. 17 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित ठहरावों पर आधारित होना/होने चाहिए। परिकल्पित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

7. मद सं. 18 के संबंध में, आवेदक विस्तृत रूप से सुसंगत तथ्यों का कथन करेगा तथा अपने कारबार या वृत्ति की प्रवृत्ति और संभावित तारीख तथा प्रस्तावित (ठहराव) के प्रयोजन का प्रकटन भी करेगा। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में दर्शित सुसंगत तथ्यों को तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया जाएगा ना कि मात्र निर्देश द्वारा निगमित किया जाएगा।

8. मद संख्या 19 के लिए उपाबंध 2 में, आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित करेगा।

9. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-

(क) व्यष्टि के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) व्यष्टि स्वयं द्वारा ; या

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिमान्य मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(ख) हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके कर्ता द्वारा ; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे कुटुंब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा ; और

(II) हस्ताक्षरित या अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(ग) कंपनी के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) के निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(घ) फर्म के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा ; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर या सत्यापन करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो ; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(ड.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित ; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,-

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का कथन जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

.....
.....

.....
(आवेदक)

स्थान.....

तारीख.....

उपाबंध 2

प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए कथन

.....
.....

स्थान.....

तारीख.....

.....
(आवेदक)¹

[अधिसूचना सं. 37/2023 फा. सं. 370142/62/2021-टीपीएल (पार्ट-III)]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 403(अ), तारीख 31 मई 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2023

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by section 245Q read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely: —

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 44E, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification appended thereto, the annexures to the said application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,— (a) in the case of an individual,—

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the individual himself; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf:

Provided that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application; and

(II) furnished through his registered e-mailaddress;

(b) in the case of a Hindu undivided family,—

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the karta thereof; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(c) in the case of a company, —

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the Managing Director thereof; or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

Provided that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application; and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(d) in the case of a firm, —

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the managing partner thereof; or

(ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor; and

- (II) furnished through its registered e-mail address;
- (e) in the case of an association of persons,—
- (I) signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and
- (II) furnished through its registered e-mail address;
- (f) in the case of any other person,—
- (I) signed or digitally signed by that person or by some other person competent to act on his behalf; and
- (II) furnished through his registered e-mail address.
3. In the said rules, in rule 44F,—
- (i) in the marginal heading, for the word “Authority”, the word “Board” shall be substituted;
- (ii) for the word “Authority” at both the places where they occur, the word “Board” shall be substituted, in both places.
4. In the said rules, in Appendix-II, for the Forms —FORM No. 34C to FORM No. 34EA, the following Forms shall be substituted, namely:—

“FORM No. 34C

[See rule 44E]

[Form of application by a non-resident applicant for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS

	Mr.	Ms.
1. In case of an individual, Last Name/ Surname First Name Middle Name		
2. Date of Birth		
3. Father's name		
4. Full name (in case the applicant is not an individual)		
5. Date of Incorporation (in case applicant is not an individual)		
6. Type of incorporation		
7. Address		
8. Telephone, Fax No. and e-mail address		
9. Country of residence		
10. Status		
11. Basis of claim for being a non-resident		
12. The Commissioner and the Assessing Officer having jurisdiction over the applicant (in the case of existing assesseees)		
13. Permanent Account Number (in the case of existing assesseees)		

14. Question(s) relating to the transaction on which the advance ruling is required
15. Whether the transaction referred to in item No. 14 relates to an event of national or international importance?
16. If yes, name of the event
17. Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) referred to in item No. 14
18. Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s)
19. List of documents or statements attached
20. Fee payment details, such as Transaction Reference No./ Challan Identification Number/ Payment Identification Number etc., accompanying the application
21. Name and address of authorised representative in India, if any
22. Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or any unique number used for identification by the Government of that country or specified territory of which applicant claims to be a resident
23. Particulars of the Parent Company or Companies of the applicant:
- (a) Name of the Immediate parent company of the applicant
- (b) Address of Immediate parent company of the applicant
- (c) Country of residence of Immediate parent company of the applicant
- (d) Permanent Account Number of Immediate parent company of the applicant (if allotted)
- (e) Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or any unique number used for identification of the Immediate parent company of applicant by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident
- (f) Name of Ultimate parent company of the applicant
- (g) Address of Ultimate parent company of the applicant
- (h) Country of residence of Ultimate parent company of the applicant

(i) Permanent Account Number of Ultimate parent company of the applicant (if allotted)

(j) Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number or Functional equivalent or any unique number used for identification of the Ultimate parent company of applicant by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident

.....
Signed
(Applicant)

Verification

I,

.....
son/daughter/wife [name in full and in block letters] of
..... do hereby solemnly

declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this application in my capacity as

.....(designation)

and that I am competent to make this application and verify it.

I also declare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are not pending in my case before any income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.

Verified today, the.....day of.....

.....
Signed (Applicant)

Place.....

Notes:

1. The application shall be filled in English or Hindi.
2. The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule (4) of rule 44E of rules, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment shall be given in reply to item No. 20.
3. In reply to item No. 7, in the case of an applicant, who is not an existing assessee, the following addresses are to be given:-
 - The place where office and residence are located or is likely to be located in India
 - The address in his country of incorporation.
4. In reply to item No. 9, if the applicant is a company, association of persons or Hindu undivided family, etc., the country of residence thereof is to be given and not of the individual who is filing the application on behalf of such person.
5. In reply to item No. 10, the applicant shall state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
6. For item No. 11, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as contained in section 6 of the Income-tax Act. The position in this regard is as follows:

An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

 - for a period or periods of one hundred and eighty-two days or more ;or
 - for a period or periods of sixty days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of three hundred and sixty-five days or more.

However, the period of sixty days is increased to one hundred and eighty-two days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India or a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship. Further, in the case of a person who is a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes to a visit to India, the aforementioned period of sixty days is increased to one hundred and twenty days if the total income of such person, other than income from foreign sources, exceeds fifteen lakh rupees during the relevant previous year.

Furthermore, irrespective of the above mentioned conditions, an individual, who is a citizen of India and has total income, other than the income from foreign sources, exceeding fifteen lakh rupees will be deemed to be a resident if he is not liable to tax in any other country or territory due to his domicile or residence or any other criterion.

An association of persons or a Hindu undivided family or a firm is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

A company is resident in India, if it is an Indian company or its place of effective management is in India.

A person who is not resident in India as above, is non-resident in India

7. Regarding item No. 14, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
8. In respect of item No. 17, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transactions. Relevant facts reflected in documents submitted along with the application must be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
9. For item No. 18, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the questions on which the advance ruling has been sought.
10. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
 - (a) in the case of an individual,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf :
Provided that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application ;
 and
 - (II) furnished through his registered e-mail address;
 - (b) in the case of a Hindu undivided family,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and

furnished through its registered e-mail address;
 - (c) in the case of a company, —
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not

able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof ; or
(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf :

Provided that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application ; and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(d) in the case of a firm, —

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the managing partner thereof; or

(ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor ;and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(e) in the case of an association of persons,—

(I) signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(f) in the case of any other person,—

(I) signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; and

furnished through his registered e-mailaddress;

ANNEXURE I

Statement of the relevant facts having a bearing on the questions on which the advance ruling is required

.....
.....

.....

Signed

Place..... (Applicant)

Date.....

ANNEXURE II

Statement containing the applicant’s interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the question(s) on which advance ruling is required

.....
.....

.....

Place.....

Signed Date.....

(Applicant)

FORM No. 34D

[See rule 44E]

Form of application by a resident applicant for seeking an advance ruling in relation to a transaction undertaken or proposed to be undertaken by him with a non-resident, under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR
ADVANCE RULINGS

- | | |
|---|--|
| 1. Full name and address of the applicant | |
| 2. Telephone, Fax No. and email address | |
| 3. Status | |
| 4. Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant | |
| 5. Permanent Account Number, and Aadhaar Number (if applicable) | |
| 6. Particulars of the non-resident with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken | |
| (a) Name of the non-resident | |
| (b) Address of the non-resident | |
| (c) Country of residence | |
| (d) Telephone and Fax Number of the non- resident | |
| (e) Permanent Account Number of the non- resident (if allotted) | |
| (f) Taxpayer Registration Number or Taxpayer Identification Number/Functional equivalent or any unique number used for identification of the non-resident by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident. | |
| (g) Name of Immediate parent company of the non-resident | |
| (h) Address of Immediate parent company of the non-resident | |
| (i) Country of residence of Immediate parent company of the non-resident | |
| (j) Permanent Account Number of Immediate parent company of the non- resident (if allotted) | |
| (K) Taxpayer Registration Number or
Taxpayer Identification Number or
Functional equivalent/ any unique
number used for identification of the Immediate parent company of
the non- resident by the Government of that country or specified
territory of which it claims to be a resident | |

- (l) Name of Ultimate parent company of the non-resident
- (m) Address of Ultimate parent company of the non-resident
- (n) Country of residence of Ultimate parent company of the non-resident
- (o) Permanent Account Number of Ultimate parent company of the non-resident (if allotted)
- (p) Taxpayer Registration Number or
Taxpayer Identification Number or
Functional equivalent or any unique
number used for identification of the Ultimate
parent company of the non- resident by the
Government of that country/specified territory of
which it claims to be a resident;
7. Basis of claim that the person referred to in serial number 6 with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken is a non-resident
8. Question(s) of law or of fact relating to a transaction undertaken or proposed to be undertaken on which the advance ruling is required
9. Whether the transaction referred to in item No. 8 relates to an event of national or international importance?
10. If yes, name of event
11. Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) referred to in item No. 8
12. Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s)
13. List of documents or statements attached
14. Fee payment details, such as Transaction Reference No./ Challan Identification Number/ Payment Identification Number etc., accompanying the application

.....
Signed
(Applicant)

Verification

I,

.....
son/daughter/wife [name in full and in block letters] of

..... do hereby solemnly

declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this application in my capacity as

..... (designation) and that I am competent to make this application and verify it.

I also declare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are not pending in my case before any income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.

Verified today, the.....day of.....

.....
Signed
(Applicant)

Place.....

Notes:

1. The application shall be filled in English or Hindi.
2. The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule (4) of rule 44E of rules, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment shall be given in reply to item No. 14.
3. In reply to item No. 3, the applicant shall state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
4. For item No. 6, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as contained in section 6 of the Income-tax Act. The position in this regard is as follows:

An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

- for a period or periods of one hundred and eighty-two days or more ;or
- for a period or periods of sixty days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of three hundred and sixty-five days or more.

However, the period of sixty days is increased to one hundred and eighty-two days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India or a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship. Further, in the case of a person who is a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes to a visit to India, the aforementioned period of sixty days is increased to one hundred and twenty days if the total income of such person, other than income from foreign sources, exceeds fifteen lakh rupees during the relevant previous year.

Furthermore, irrespective of the above mentioned conditions, an individual, who is a citizen of India and has total income, other than the income from foreign sources, exceeding fifteen lakh rupees will be deemed to be a resident if he is not liable to tax in any other country or territory due to his domicile or residence or any other criterion.

An association of persons or a Hindu undivided family or firm is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

A company is resident in India, if it is an Indian company or its place of effective management is in India.

A person who is not resident in India as above, is non-resident in India.

5. Regarding item No. 8, the question(s) shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
6. In respect of item No. 11, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transaction(s). Relevant facts reflected in the documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
7. For item No. 12, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.
8. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
 - (a) in the case of an individual,—

- (I) signed or digitally signed,—
- (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf :
- Provided** that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application ; and
- (II) furnished through his registered e-mailaddress;
- (b) in the case of a Hindu undivided family,—
- (I) signed or digitally signed,—
- (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and
- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (c) in the case of a company, —
- (I) signed or digitally signed,—
- (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof ; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf :
- Provided** that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application ; and
- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (d) in the case of a firm, —
- (I) signed or digitally signed,—
- (i) by the managing partner thereof; or
 - (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor; and
- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (e) in the case of an association of persons,—
- (I) signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof ; and
- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (f) in the case of any other person,—
- (I) signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; and
- (II) furnished through his registered e-mailaddress;

ANNEXURE I**Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) on which the advance ruling is required**

.....

.....

Place..... (Applicant)

Date.....

ANNEXURE II**Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the question(s) on which advance ruling is required**

.....

.....

Place.....

Signed Date.....

(Applicant)

FORM No. 34DA

[See rule 44E]

Form of application by a resident applicant for seeking an advance ruling, in relation to a transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken, under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR ADVANCE RULINGS

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Full name and address of the applicant | <input type="text"/> |
| 2. Telephone, Fax No. and email address | <input type="text"/> |
| 3. Status | <input type="text"/> |
| 4. The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant | <input type="text"/> |
| 5. Permanent Account Number, and Aadhaar Number (if applicable) | <input type="text"/> |
| 6. Name, address, telephone or fax number and email address of the person with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken | <input type="text"/> |
| 7. Question(s) of law or of fact relating to a transaction undertaken or proposed to be undertaken on which the advance ruling is required | <input type="text"/> |
| 8. Whether the transaction referred to in item No. 7 relates to an event of national or international importance? | <input type="text"/> |
| 9. If yes, name of event | <input type="text"/> |
| 10. Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) referred to in item No. 7 | <input type="text"/> |
| 11. Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s) | <input type="text"/> |
| 12. Whether there are any decisions of the Court on the question raised on which ruling is required? If yes, list such relevant decisions. | <input type="text"/> |

13. List of documents or statements attached

14. Fee payment details, such as Transaction Reference No./ Challan Identification Number/ Payment Identification Number etc., accompanying the application

.....
Signed
(Applicant)

Verification

I,

.....
son/daughter/wife [name in full and in block letters] of

..... do hereby solemnly

declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this application in my capacity as (designation) and that I am competent to make this application and verify it.

I also declare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are not pending in my case before any income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.

Verified today, the.....day of.....

.....
Signed
(Applicant)

Notes:

1. The application shall be filled in English or Hindi.
2. The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule (4) of rule 44E of Income-tax Rules, 1962, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment shall be given in reply to item No. 14.
3. In reply to item No. 3, the applicant shall state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
4. Regarding item No. 7, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
5. In respect of item No. 10, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed transactions. Relevant facts reflected in the documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.
6. For item No. 11, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.
7. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
 - (a) in the case of an individual,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf :

Provided that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application ; and

(II) furnished through his registered e-mailaddress;

(b) in the case of a Hindu undivided family,—

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the karta thereof; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(c) in the case of a company, —

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:

Provided that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application ; and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(d) in the case of a firm, —

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the managing partner thereof; or

(ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor;and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(e) in the case of an association of persons,—

(I) signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and

(II) furnished through its registered e-mailaddress;

(f) in the case of any other person,—

(I) signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; and

(II) furnished through his registered e-mailaddress.

ANNEXURE I

Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) on which the advance ruling is required

.....
.....

.....*Sign.*
(Applicant)

Place.....

Date.....

ANNEXURE II

Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the question(s) on which advance ruling is required

.....

Place.....

Signed Date.....

(Applicant)

FORM No. 34E

[See rule 44E]

Form of application by a resident falling within such class or category of persons as notified by Central Government for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE
 BOARD FOR ADVANCE RULINGS

1. Full name and address of the applicant
2. Telephone, Fax No. and email address
3. Status
4. The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction over the applicant
5. Permanent Account Number, and Aadhaar Number (if applicable)
6. Particulars of the appeal number and date of appeal before the CIT(A) or the Tribunal wherever applicable
7. Assessment year, date of assessment order and section under which the original order was passed by the Assessing Officer wherever applicable (enclose copy of th assessment order and appellate order)
8. Question(s) of law or of fact involved on which the advance ruling is required
9. Whether the transaction referred to in item No. 8 relates to an event of national or international importance?
10. If yes, name of event
11. Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) referred to in item No. 8
12. Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s)
13. List of documents or statements attached
14. Fee payment details, such as Transaction Reference No./ Challan Identification Number/ Payment Identification Number etc., accompanying the application

.....
 Signed
 (Applicant)

Verification

.....
 son/daughter/wife [name in full and in block letters] of
 do hereby solemnly

declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this application in my capacity as

..... (designation) and that I am competent to make this application and verify it.

I also declare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are not pending in my case before any income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.

Verified today, the.....day of.

.....
Signed
 (Applicant)

Place.....

Notes:

1. The application shall be filled in English or Hindi.
2. The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule (4) of rule 44E of rules, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment shall be given in reply to item No. 14.
3. In reply to item No. 3, the applicant shall state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.
4. Regarding item No. 8, the questions shall be based on actual or proposed transactions. Hypothetical questions shall not be entertained.
5. In respect of item No. 11, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts. The tax effect on each question shall also be spelt out.
6. For item No. 12, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the questions on which the advance ruling is being sought.
7. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—
 - (a) in the case of an individual,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the individual himself; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf :
Provided that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application ;
 and
 - (II) furnished through his registered e-mailaddress;
 - (b) in the case of a Hindu undivided family,—
 - (I) signed or digitally signed,—
 - (i) by the karta thereof; or
 - (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family; and
 - (II) furnished through its registered e-mailaddress;

© in the case of a company, —

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof ; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf :

Provided that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application ; and

(II) furnished through its registered e-mail address;

(d) in the case of a firm, —

a. signed or digitally signed,—

i. by the managing partner thereof, or

ii. where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor; and

b. furnished through its registered e-mail address;

(e) in the case of an association of persons,—

a. signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and

b. furnished through its registered e-mail address;

(f) in the case of any other person,—

a. signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; and

b. furnished through his registered e-mail address.

ANNEXURE I

Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) on which the advance ruling is required

.....

Place.....

Signed Date.....

(Applicant)

Place.....

Signed Date.....

(Applicant)

FORM No. 34EA

[See rule 44E]

Form of application by a person for obtaining an advance ruling under section 245Q(1) of the Income-tax Act, 1961(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM) BEFORE THE BOARD FOR
ADVANCE RULINGS

1. In case of an individual,

Last Name/ Surname First Name
Middle Name

2. Date of Birth

3. Father's name

4. Full name (in case applicant is not an individual)

5. Date of Incorporation (in case applicant is not an individual)

6. Type of incorporation

7. Address

8. Status

9. Resident or non-resident in India

10. Country of which he is resident (in case of non-resident)

11. Basis of claim for being a non-resident

12. The Commissioner and Assessing Officer having jurisdiction
over the applicant (only in case of existing non-resident
assesseees)13. Permanent Account Number, and Aadhaar number
(if applicable) in case of resident14. Details of the arrangement to be
undertaken by the applicant on which determination or
decision of the Board is required

(i) brief description of the arrangement

(ii) purpose or purposes of the arrangement

(iii) details of the other parties to the arrangement in the
following format:

Mr.	Ms.

S.No.	Name of the other party(ies) to the arrangement	Whether resident in India	Permanent Account Number and Aadhaar Number (if applicable)	Role of such party in arrangement	Relationship with other party(ies) to the arrangement	Tax benefit arising to the other party(ies), if any

15. The tax benefit which is likely to arise out of arrangement, if undertaken
16. Assessment year, or years during which the tax benefit as indicated in item No. 15 is likely to arise (give year wise break-up)
17. Questions(s) relating to the proposed arrangement on which the advance ruling is required referred to in item No. 14
18. Statement of the relevant facts having a bearing on the item No. 14
19. Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid arrangement
20. List of documents or statements attached
21. Fee payment details, such as Transaction Reference No./ Challan Identification
- Number/ Payment Identification Number etc., accompanying the application
22. Name and address of authorised representative in India

.....
Signed (Applicant)

Verification

.....
son/daughter/wife [name in full and in block letters] of
..... do hereby solemnly

declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this application in my capacity as

..... (designation) and that I am competent to make this application and verify it.

I also declare that the question on which the advance ruling is required is not pending in my case before any income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.

Verified today, the.....day of.....

.....
Signed (Applicant)

Place.....

Notes:

1. The application shall be filled in English or Hindi.

2. In reply to item No. 9, in the case of an applicant, who is not an existing assessee, the following addresses are to be given:-

- The place where office and residence are located or is likely to be located in India
- The address in his country of incorporation.

3. The application shall be accompanied by proof of payment, of applicable fees in accordance with sub-rule (4) of rule 44E of Income-tax Rules, 1962, made in favour of Board for Advance Rulings, payable at New Delhi. Details of payment shall be given in reply to item No. 21.

4. In reply to item No. 8, the applicant must state whether the applicant is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.

5. For item No. 11, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as contained in section 6 of the Income-tax Act. The

position in this regard is as follows:

An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

- for a period or periods of one hundred and eighty-two days or more ; or
- for a period or periods of sixty days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of three hundred and sixty-five days or more.

However, the period of sixty days is increased to one hundred and eighty-two days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India or a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship. Further, in the case of a person who is a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes to a visit to India, the aforementioned period of sixty days is increased to one hundred and twenty days if the total income of such person, other than income from foreign sources, exceeds fifteen lakh rupees during the relevant previous year.

Furthermore, irrespective of the above mentioned conditions, an individual, who is a citizen of India and has total income, other than the income from foreign sources, exceeding fifteen lakh rupees will be deemed to be a resident if he is not liable to tax in any other country or territory due to his domicile or residence or any other criterion. An association of persons or a Hindu undivided family or firm is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

A company is resident in India, if it is an Indian company or its place of effective management is in India.

A person who is not resident in India as above, is non-resident in India

6. Regarding item No. 17, the question (s) should be based on actual or proposed arrangements. Hypothetical questions shall not be entertained.

7. In respect of item No. 18, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed arrangement(s). Relevant facts reflected in documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.

8. For item No. 19, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.

9. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be,—

(a) in the case of an individual,—

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the individual himself; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf :

Provided that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application ; and

(II) furnished through his registered e-mail address;

(b) in the case of a Hindu undivided family,—

(I) signed or digitally signed,—

(i) by the karta thereof; or

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family ; and

(II) furnished through its registered e-mail address;

(c) in the case of a company, —

- (I) signed or digitally signed,—
- (i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof ; or
- (ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf:
- Provided** that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application ; and
- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (d) in the case of a firm, —
- (I) signed or digitally signed,—
- (i) by the managing partner thereof; or
- (ii) where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor ;and
- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (e) in the case of an association of persons,—
- (I) signed or digitally signed by any member of the association or the principal officer thereof; and
- (II) furnished through its registered e-mailaddress;
- (f) in the case of any other person,—
- (I) signed or digitally signed by that person or by some person competent to act on his behalf; and
- (II) furnished through his registered e-mailaddress.

ANNEXURE I

Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) on which the advance ruling is required

.....

Place.....

Signed Date.....

(Applicant)

ANNEXURE II

Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the question(s) on which advance ruling is required

.....

Place.....

Signed Date.....

(Applicant)".

[Notification No. 37/2023 F.No. 370142/62/2021-TPL(Part-III)]

PRAJNA PARAMITA, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 969(E) dated the 26th March, 1962 and were last amended vide notification No. G.S.R. 403 (E), dated the 31st May, 2023.